



प्रेषक,

कमल मोहन,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूपीनेडा के नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक व्यय मद संख्या-20 (गैर वेतन) की पूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5343/यूपीनेडा-ए-बजट अनुमान (गैर वेतन)/2025-26, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा के नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति हेतु मद संख्या-20 (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि ₹0 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

(धनराशि ₹0 लाख में)

क्र.स.	प्राविधानित धनराशि	शासनादेश संख्या व दिनांक	अवमुक्त धनराशि
1	750	18/2025/405/001-87-01002-099-3-2022, दिनांक 30 अप्रैल, 2025	187.50
2		28/2025/721/002-87-01002-099-3-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2025	187.50
3		35/2025/1/1110061/003-87-01002-099-3-2022, दिनांक 08 अक्टूबर, 2025	187.50
कुल योग			562.50

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत यूपीनेडा के 0600-नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹0 750.00 लाख (रूपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) में से चतुर्थ/अंतिम किश्त के रूप में धनराशि ₹0 187.50 लाख (रूपये एक करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाये। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा-369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पीओएल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं0-वि0वि0-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

6- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,87,50,000 (रुपये एक करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810008000600 नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-10-91-X-2025-26- दिनांक:14-1-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कमल मोहन
अनु सचिव

संख्या-03/2026/आई/1208860/004-87-01002-099-3-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
- (3) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
- (5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
- (6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, प्रयागराज।
- (7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कमल मोहन
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।